

घड़साना

06-10-23 प्राची द्वारा जरिये वकील डा० पत्र पेश
कर पत्रावली आज पेसी में लिये जाने का निर्देश
किया गया। पत्रावली आज पेसी में ली गई।
वाडी द्वारा जरिये वकील डा० पेश कर वाड पत्र
इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निर्देश किया
गया। वाड पत्र खारिज किये जाने के कारण यह
प्राचीन पत्र का कोई औचित्य नहीं रहे जाता। अतः
यह प्राचीन पत्र इसी स्तर पर नोट पुस के आधार पर
खारिज किया जाय है। पत्रावली वाड
तरतीब तकनीक के मादखिक दफ्तरे है।

Note pros
दिनांक
06/10/23

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(अमित कुमार)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना ✓